

फाईनल डिक्ली मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

रामअवतार पुत्र किशोरी उम्र 57 साल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी माली की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान _____वादी

बनाम

1. कपूर चन्द पुत्र किशोरी उम्र 59 साल
2. विमला पत्नी कपूरचंद उम्र 57 साल
3. राजेन्द पुत्र कपूरचंद उम्र 35 साल
4. महेशचंद पुत्र कपूरचंद उम्र 33 साल
5. बलराम पुत्र कपूरचंद उम्र 30 साल
6. सुरेन्द्र पुत्र कपूरचंद उम्र 28 साल
7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

जाति माली निवासी किशोरी माली की कोठी सहजा का तिवारा बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास वार्ड न0 23 हिण्डौन सिटी जिला करौली


_____ प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा,

एवं स्थायी निषेधाज्ञा


मुकदमा नं0 478 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री संजय शर्मा एडवोकेट मिन जानिव मुदई रुबरु श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट मिन जानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्ली दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4132 रकबा 0.33 है0, 4134 रकबा 0.13 है0, 4135 रकबा 0.19 है0, 4136 रकबा 0.19 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का वादी रामअवतार पुत्र किशोरी जाति माली निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी माली की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तथा खसरा नम्बर 4131 रकबा 0.10 है0, 4143 रकबा 0.18 है0, 4144 रकबा 0.10 है0, 4145 रकबा 0.08 है0, 4147 रकबा 0.08 है0, 10180/4142 रकबा 0.05 है0, 4138/1 रकबा 0.25 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.84 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का प्रतिवादी सं01 कपूरचन्द पुत्र किशोरी निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी माली की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 4138/2 रकबा 0.03 है0 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का वादी रामअवतार पुत्र किशोरी हि0 1/2 एवं प्रतिवादी सं.1 कपूरचन्द पुत्र किशोरी हि0 1/2 जाति माली निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी माली की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 4132 रकबा 0.33 है0, 4134 रकबा 0.13 है0, 4135 रकबा 0.19 है0, 4136 रकबा 0.19 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, भूमि को वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे, भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, कि जिससे वादी के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.10.2025 को यह डिक्री जारी की गई।


(हेमराज गुर्जर) 06/10/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 478/2021

तारीख रजू:- 17.12.2021

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

रामअवतार पुत्र किशोरी उम्र 57 साल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी माली की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान _____वादी

बनाम

1. कपूर चंद पुत्र किशोरी उम्र 59 साल
 2. विमला पत्नी कपूरचंद उम्र 57 साल
 3. राजेन्द्र पुत्र कपूरचंद उम्र 35 साल
 4. महेशचंद पुत्र कपूरचंद उम्र 33 साल
 5. बलराम पुत्र कपूरचंद उम्र 30 साल
 6. सुरेन्द्र पुत्र कपूरचंद उम्र 28 साल
 7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली _____ प्रतिवादीगण
- जाति माली निवासी किशोरी माली की कोठी सहजा का तिवारा बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास वार्ड नं० 23 हिण्डौन सिटी जिला करौली

दावा बावत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा


उपस्थित:- 1. श्री संजय शर्मा वकील वादीगण

2. श्री लखनलाल गोयल वकील प्रतिवादी सं०1 ता 6

निर्णय

दिनांक :- 06.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.07.2024 को वादी का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188 के तहत प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को बंटवारा मौका कमीशनर 500 रुपये फीस पर नियुक्त कर निर्देश दिये गये कि खाता संख्या नया 181 खसरा नं० 4131 रकबा 0.10 है० खसरा नं० 4144 रकबा 0.10 है० बारानी-1, खसरा नं० 4145 रकबा 0.08 है० बारानी-1 व खसरा नं० 4147 रकबा 0.08 है० में वादीगण रामअवतार पुत्र किशोरी हिस्सा 1/2 जाति माली सा.ग्राम. खातेदार एवं प्रतिवादी कपूरचंद पुत्र किशोरी हिस्सा 1/2 जाति माली सा. ग्राम खातेदार, तथा खाता संख्या नया 182 खसरा नं० 10180/4142 रकबा 0.05 है०


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बारानी-1 खसरा न0 4132 रकबा 0.33 है0 चाही-1 खसरा न0 4143 रकबा 0.18 है0
बारानी-1 में वादीगण रामअवतार पुत्र किशोरी हिस्सा 1/2 जाति माली सा.ग्राम खातेदार
एवं प्रतिवादी कपूरचन्द पुत्र किशोरी हिस्सा 1/2 जाति माली सा.ग्राम खातेदार एवं खाता
संख्या 183 खसरा न0 4134 रकबा 0.13 है0 बारानी-1, खसरा न0 4135 रकबा 0.19 है0
बारानी-1 खसरा न. 4138 रकबा 0.28 है0 बारानी-1 में वादी रामअवतार पुत्र किशोरीलाल
हिस्सा 1/2 जाति माली सा.ग्राम खातेदार व प्रतिवादी कपूरचन्द पुत्र किशोरीलाल हिस्सा
1/2 जाति माली सा.ग्राम खातेदार वाके ग्राम कस्बा हिण्डौन सिटी पटवार हल्का हिण्डौन
सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0 में वादी एवं प्रतिवादी राजस्व रिकॉर्ड
जमाबन्दी के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में
मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी
कब्जे के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार करें। बंटवारा स्कीम दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस
के न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। नक्शा ट्रेस में अलग-अलग रंगों से वादी व प्रतिवादी का
हिस्सा अंकित करें।

मुताबिक आदेश तहसीलदार (भू-अभि0) हिण्डौन के पत्रांक भूअ./2025/
1184 दिनांक 03.06.2025 से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में
प्राप्त हो चुकी है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बंटवारा स्कीम पर बहस
सुनी गई। वकुलाय फरीकेन ने मुताबिक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये
जाने का निवेदन किया है।


वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड
का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार विवादित
आराजी खसरा नम्बर 4132 रकबा 0.33 है0, 4134 रकबा 0.13 है0, 4135 रकबा 0.19 है0,
4136 रकबा 0.19 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील
हिण्डौन खातेदार रामअवतार पुत्र किशोरी जाति माली निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी माली
की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास हिण्डौन जिला
करौली के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 4131 रकबा 0.10 है0, 4143 रकबा 0.18
है0, 4144 रकबा 0.10 है0, 4145 रकबा 0.08 है0, 4147 रकबा 0.08 है0, 10180/4142
रकबा 0.05 है0, 4138/1 रकबा 0.25 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.84 है0 वाके कस्बा
हिण्डौन तहसील हिण्डौन खातेदार कपूरचन्द पुत्र किशोरी निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी
माली की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास हिण्डौन
सिटी जिला करौली के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 4138/2 रकबा 0.03 है0


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदार रामअवतार पुत्र किशोरी हि० 1/2, कपूरचन्द पुत्र किशोरी हि० 1/2 जाति माली निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी माली की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली की शामिल खातेदारी में रखी गयी है।


उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिकी एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादी एवं प्रतिवादीगण दावा को फाईनल डिकी कराना चाहते हैं। जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होना दौराने बहस अवगत कराया है। इसलिए वादी का दावा मुताविक बंटवारा स्कीम फाईनल डिकी योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 4132 रकबा 0.33 है०, 4134 रकबा 0.13 है०, 4135 रकबा 0.19 है०, 4136 रकबा 0.19 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 है० वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का वादी रामअवतार पुत्र किशोरी जाति माली निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी माली की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 4131 रकबा 0.10 है०, 4143 रकबा 0.18 है०, 4144 रकबा 0.10 है०, 4145 रकबा 0.08 है०, 4147 रकबा 0.08 है०, 10180/4142 रकबा 0.05 है०, 4138/1 रकबा 0.25 है० कुल किता 7 कुल रकबा 0.84 है० वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का प्रतिवादी सं०1 कपूरचन्द पुत्र किशोरी निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी माली की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा तथा नई गौशाला के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 4138/2 रकबा 0.03 है० कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का वादी रामअवतार पुत्र किशोरी हि० 1/2 एवं प्रतिवादी सं०1 कपूरचन्द पुत्र किशोरी हि० 1/2 जाति माली निवासी वार्ड संख्या 23 किशोरी माली की कोठी, सहजा का तिवारा, बजनियान के पुरा, नई गौशाला के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 4132 रकबा 0.33 है०, 4134 रकबा 0.13 है०, 4135 रकबा 0.19 है०, 4136 रकबा 0.19 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 है० वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, भूमि को वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग-उपयोग करने देवे, भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, कि जिससे वादी के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फँसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हेमराज गुर्जर) 6/10/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला (करौली)